कार्यालय उप निदेशक,महिला एवं बाल विकास विभाग,दौसा जिला–दौसा (राज.)

कमांकः– 3424 दिनांकः– 05/04/2024

विज्ञप्ति संख्या 01/2024

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर के आदेश कमांकः प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/4244–63 जयपुर,दिनांक 12.01.2023 तथा संशोधित दिशा–निर्देश आदेश प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/57871–58286 दिनांक 01.03.2024 के अनुसरण में जिले की निम्नांकित बाल विकास परियोजनाओं के अधीन ग्राम पंचायतो/वार्डो में आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदो हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है, परियोजनावार रिक्त पदों की सूचना :–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यकर्ता	सहायिका	कुल पद	ई–मेल आईडी
1	बांदीकुई प्रथम	1	6	7	ICDS.BANDIKUII@RAJASTHAN.GOV.IN
2	बांदीकुई द्वितीय	0	1	1	ICDS.BANDIKUIII@RAJASTHAN.GOV.IN
3	दौसा	1	5	6	ICDS.DAUSA@RAJASTHAN.GOV.IN
4	लालसोट	0	6	6	ICDS.LALSOT@RAJASTHAN.GOV.IN
5	लवाण	0	5	5	ICDS.LAWAN@RAJASTHAN.GOV.IN
6	महवा	1	16	17	ICDS.MAHUWA@RAJASTHAN.GOV.IN
7	सिकराय	1	7	8	ICDS.SIKRAI@RAJASTHAN.GOV.IN
योग		**4**	**46**	**50**	

नोटः–रिक्त पदों की आरक्षण सहित विस्तृत जानकारी/शर्तें उप निदेशक कार्यालय तथा ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस विज्ञप्ति में उल्लेखित आंगनबाडी केन्द्रों के मानदेय कार्मिकों के रिक्त पदों पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने की अंतिम तिथि 05 अप्रेल 2024 सांय 6.00 बजे तक है।

(विजय कुमार)
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
दौसा

कमांक 3425–60 **दिनांक** 05/04/2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं,राजस्थान,जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,दौसा।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद,दौसा।
4. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, समेकित बाल विकास सेवाएं,राजस्थान,जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
5. विकास अधिकारी समस्त जिला दौसा।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका–बांदीकुई/लवाण/मण्डावर।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला दौसा को भेजकर लेख है उक्त विज्ञप्ति की एक कॉपी संबंधित पंचायत समितियों और नगरपरिषद/नगरपालिका मुख्यालयों एवं रिक्त पदों वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।
8. सम्पादक राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर, दौसा को डी.आई.पी.आर दरों पर दौसा जिले के स्थानीय संस्करण में प्रकाशनार्थ।
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड/लेखा शाखा/बिल शाखा/संस्थापन/रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
दौसा

कार्यालय उप निदेशक,महिला एवं बाल विकास विभाग,दौसा जिला–दौसा (राज.)

परियोजनावार रिक्त पदों का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	परियोजना	ग्राम पंचायत / नगरपरिषद / नगरपालिका का नाम	आं0बा0 केन्द्र का नाम	रिक्त पद कार्यकर्ता / सहायिका	आरक्षित वर्ग
1	बांदीकुई प्रथम	नन्देरा	नन्देरा–3	सहायिका	सामान्य
2		बिवाई	बिवाई –1	सहायिका	सामान्य
3		नगरपालिका बांदीकुई	जागीर बांदीकुई–2	सहायिका	सामान्य
4		नगरपालिका बांदीकुई	जागीर बांदीकुई–4	कार्यकर्ता	सामान्य
5		नगरपालिका बांदीकुई	जागीर बांदीकुई–4	सहायिका	सामान्य
6		ढिगारिया भीम	भीलों की ढाणी	सहायिका	एस.टी.
7		नगरपालिका बांदीकुई	वार्ड न. – 19–2	सहायिका	सामान्य
8	बांदीकुई–द्वितीय	अरनिया	अरनिया–2	सहायिका	सामान्य
9	दौसा	जिरोता खुर्द	जिरोता खुर्द–1	कार्यकर्ता	सामान्य
10		जिरोता खुर्द	जिरोता खुर्द–1	सहायिका	सामान्य
11		खैरवाल	खैरवाल–1	सहायिका	सामान्य
12		सैंथल	सैंथल–1	सहायिका	सामान्य
13		काबलेश्वर	काबलेश्वर–1	सहायिका	सामान्य
14		बिशनपुरा	बिशनपुरा–2	सहायिका	एस.सी.
15	लालसोट	तलाबगांव	तलाबगांव	सहायिका	सामान्य
16		डिडवाना	डिडवाना–7	सहायिका	सामान्य
17		डिडवाना	डिडवाना–8	सहायिका	सामान्य
18		बिलौनाकलां	बडेखन	सहायिका	सामान्य
19		खटूम्बर	खटूम्बर	सहायिका	सामान्य
20		डिगो	डिगो–3	सहायिका	सामान्य
21	लवाण	लाडली का बास	लाडली का बास–2	सहायिका	एस.सी.
22		नगरपालिका लवाण	लवाण–1	सहायिका	सामान्य
23		बडागांव	बैनाडा की ढाणी	सहायिका	सामान्य
24		बनियाना	मटवास	सहायिका	एसटी
25		पापडदा	पापडदा–2	सहायिका	एससी
26	महवा	बालाहेडी	हांसिलपुर	सहायिका	सामान्य
27		हुडला	हुडला–2	सहायिका	एस.टी.
28		जटवाडा	सरावली	कार्यकर्ता	एस.टी.
29		जटवाडा	सरावली	सहायिका	एस.टी.
30		सलेमपुर	जलालपुर	सहायिका	सामान्य
31		खानपुर	कोडला	सहायिका	सामान्य
32		बडागांव	रतनपुरा	सहायिका	सामान्य
33		पाखर	केसरी	सहायिका	सामान्य
34		सांथा	सांथा–2	सहायिका	सामान्य
35		नौरंगवाडा	कायमपुर की ढाणी	सहायिका	एस.टी.
36		बाडाबुजुर्ग	बाडाबुजुर्ग	सहायिका	एस.टी.
37		सलेमपुर	सलेमपुर	सहायिका	सामान्य
38		खानपुर	तेहडा की ढाणी	सहायिका	सामान्य
39		पाली	बैरवा की ढाणी	सहायिका	एस.सी.
40		पाली	मोटूका	सहायिका	एस.टी.
41		धोलाखेडा	बैरवा की ढाणी	सहायिका	एस.टी
42		पीपलखेडा	जोगियों की ढाणी	सहायिका	सामान्य

43	सिकराय	गांगदवाड़ी	गांगदवाड़ी–द्वितीय	कार्यकर्ता	एस.टी.
44		कैलाई	बासडा	सहायिका	सामान्य
45		पिलोडी	पीलोडी	सहायिका	एस.टी.
46		रामगढ	रामगढ	सहायिका	सामान्य
47		गीजगढ	गीजगढ–6	सहायिका	सामान्य
48		कालवान	कालवान–2	सहायिका	एस.टी.
49		नामनेर	मोरेड	सहायिका	एस.टी.
50		मोहचिंगपुरा	झापडावास	सहायिका	सामान्य

नोटः– शहरी क्षेत्र के आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत वार्ड के अनुसार रिक्त पद अंकित किये हुये है। परिसीमन उपरान्त नवीन वार्ड संख्या भिन्न हो सकती है। जिसकी जानकारी संबंधित परियोजना कार्यालय स्तर पर प्राप्त की जा सकती है।

चयन हेतु वांछित पात्रताः–

1. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम/वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए एवं विधवा महिला व तलाकशुदा महिला को ससुराल अथवा मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जोयगा। आंगनबाडी मानदेयकर्मी के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनों पात्र होंगी किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थायी निवासी नही रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जायेगी। इस आशय का अण्डर टेकिंग (शपथ–पत्र) चयन के आवेदन करते समय ही देना होगा। विभाग द्वारा भविष्य में स्थानीय निवासी नही रहने पर जांच उपरांत मानदेय सेवा से हटा दिया जायेगा।
2. स्थानीय निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/जनाधार कार्ड/आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण–पत्र/ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छायाप्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में भी किया जावें।
3. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जाना अनिवार्य है।
4. शहरी क्षेत्र में आंगनबाडी केन्द्र के लिए आंगनबाडी केन्द्र के कवरेज क्षेत्र के वार्ड की महिला द्वारा आवेदन नही किये जाने की दशा में ही निकटतम वार्ड की महिला के आवेदन पत्र पर भी विचार किया जा सकता है।
5. आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पद हेतु न्यूनतम बारहवीं उत्तीर्ण महिला ही आवेदन कर सकती है।
6. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा ,परित्यकता, दिव्यांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक की होगी। आंगनबाडी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उस पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नही होगी।
7. विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र व पुनर्विवाह नही किया गया है इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
8. परित्यकता एवं तलाकशुदा की स्थिति के सक्षम स्तर न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी इत्यादि से जारी आदेश/डिग्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जावें।
9. **यदि किसी आवेदक के दस्तावेज जांच के दौरान जाली/फर्जी/कूटरचित पाया जाता है तो ऐसे आवेदक का आवेदन पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जायेगा तथा ऐसा आवेदक भविष्य में भी मानदेयकर्मी हेतु चयन का पात्र नही होगा।**
10. जिन आंगनबाडी केन्द्रों के परिवार सर्वे कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उक्त पद संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
11. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। (क्रिमी लेयर में नही होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा । एक बार क्रिमीलेयर में नही होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नही है तो ऐसी स्थिति में उसे नॉन क्रीमी लेयर संबंधी सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है।) अर्थात् आवेदक महिला का पिछडा वर्ग नॉन क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र मय सत्यापित शपथ–पत्र आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जा सकेंगे। इसके सबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देश लागू होगें।
12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को Income and Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होंगे। EWS के जारी प्रमाण पत्र आवेदक महिला का EWS का प्रमाण पत्र मय सत्यापित शपथ–पत्र आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जा सकेंगे एवं इसके सबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होगें।

13. रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।आवेदन पत्र संबंधित सीडीपीओं कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट **http://wcd.rajasthan.gov.in** से प्राप्त किये जा सकते है।

14. आवेदन फार्म ऑफलाइन संबंधित सीडीपीओ कार्यालयों में दो प्रतियों में अंतिम तिथी 05.04.2024 सांय 6.00 बजे तक व्यक्तिशः जमा कराये जायेंगे एवं आवेदक प्राप्ति रसीद अवश्य लेवे।

15. आवेदन पत्र के साथ (1) शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (4) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/ अल्पसंख्यक/विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र/दिव्यांग (5) आंगनबाडी केन्द्र पर कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (6) आर.एस.सी.आई.टी/पी.जी.डी.सी.ए इत्यादि दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है।

16. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र जमा करवाये जाने के पश्चात् त्रुटिवश संलग्न किये जाने से वंचित किसी भी प्रकार की कमी–पूर्ति हेतु संलग्न करवाये जाने वाले दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने की अन्तिम तिथी के पश्चात् किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नही किया जावेगा।

(विजय कुमार)
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
दौसा